/

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांकः एफ 7(47)(परि/नियम/मु./1987/II/16713 जयपुर, दिनांकः 27/8/2020

प्रादेशिक/अति. प्रादेशिक/
जिला परिवहन अधिकारी
..............................समस्त।

विषयः– अधिसूचना दिनांक 08.07.2020 से पूर्व बने चालानों के निष्पादन के संवंध में।

मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 200 के अन्तर्गत मोटर यान (संशोधन) अधिनियम, 2019 के द्वारा कतिपय धाराओ में कारित अपराधों की प्रशमन राशि की दरो में संशोधन के अनुरूप विभागीय अधिसूचना दिनांक 08.07.2020 जारी की गयी है। इस अधिसूचना के अन्तर्गत कतिपय धाराओ में कारित अपराधों मे प्रशमन राशि में वृद्धि की गई साथ ही कुछ धाराओं को भी प्रशमनीय बनाया गया है।

इस अधिसूचना के जारी होने के पश्चात् कतिपय जिला परिवहन कार्यालयो में अधिसूचना से पूर्व बने चालानो के निष्पादन के संबंध में भ्रम की स्थिति बनी हुई है।

इस संबंध में विधिक स्थिति को स्पष्ट करने हेतु विधि विभाग से राय प्राप्त की गई है। विधि विभाग द्वारा अपनी राय निम्न प्रकार व्यक्त की हैः–

"अपराधों का प्रशमन किया जाना अपराधी की इच्छा पर निर्भर करता है वह यदि चाहे तो सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अपराध को प्रशमन करने के लिए निवेदन कर सकता है अथवा सक्षम न्यायालय के समक्ष ट्रायल पेश कर सकता है । ऐसी स्थिति में प्रशमन की दर के संबंध में वह तिथि प्रभावी है जिस तिथि को प्रशमन किये जाने का निवेदन किया गया हो अर्थात प्रशमन का आवेदन प्रस्तुत किये जाने की दिनांक को जो भी प्रशमन की राशि प्रभावी थी उसी दर से अपराध का प्रशमन किया जावेगा।

अपराधों के प्रशमन हेतु प्रस्तुत आवेदन–पत्र की तिथि को प्रभावी प्रशमन राशि देय होगी। अर्थात् यदि प्रशमन हेतु आवेदन–पत्र दिनांक 08.07.2020 को या उसके पश्चात् प्रस्तुत हुआ है तो अधिसूचना दिनांक 08.07.2020 में प्राविधित प्रशमन राशि देय होगी अन्यथा यदि प्रशमन हेतु आवेदन–पत्र दिनांक 08.07.2020 से पूर्व प्रस्तुत हुआ है तो उसके पूर्व में प्रभावी प्रशमन राशि ही देय होगी।"

Scanned with CamScanner

अतः उक्त विधिक राय से यह स्पष्ट होता है कि यदि किसी अपराध को प्रशमन करावाने हेतू आवेदन पत्र दिनांक 08.07.2020 को या उसके पश्चात् प्रस्तुत हुआ है तो ऐसी स्थिति में अधिसूचना दिनांक 08.07.2020 में प्राविधित प्रशमन राशि देय होगी और यदि प्रशमन हेतू आवेदन पत्र दिनांक 08.07.2020 से पूर्व प्रस्तुत हुआ है तो ऐसी स्थिति में इस अधिसूचना से पूर्व में प्रभावी अधिसूचनाओं के अनुरूप प्रशमन राशि देय होगी।

अतः निर्देशित किया जाता है कि अधिसूचना दिनांक 08.07.2020 से पूर्व बने एवं प्रशमन से शेष रहे चालानों में वर्णित अपराधों का प्रशमन विधि विभाग से प्राप्त उक्त राय के आलोक में किया जाना सुनिश्चित करें। साथ ही दिनांक 08.07.2020 से पूर्व के बकाया चालानों के संबंध में प्राप्त अनिस्तारित आवेदनों (यदि कोई हो) की सूचना अविलम्ब transport.rules@ rajasathan.gov.in पर मेल करें।

(रवि जैन)
शासन सचिव एवं परिवहन आयुक्त

क्रमांकः एफ 7(47)(परि/नियम/मु./1987/II/16714-26 जयपुर, दिनांकः 27/8/2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय परिवहन मंत्री महोदय।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय परिवहन राज्य मंत्री महोदय।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, परिवहन।
4. निजी सचिव, शासन सचिव एवं परिवहन आयुक्त।
5. विधि विभाग, राजस्थान सरकार।
6. निजी सचिव, पुलिस महानिदेशक।
7. निजी सचिव, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (यातायात)।
8. पुलिस आयुक्त, जयपुर/जोधपुर।
9. समस्त जिला कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट।
10. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक।
11. समस्त मुख्यालय अधिकारीगण, परिवहन मुख्यालय, जयपुर।
12. नोडल अधिकारी, वेबसाईट को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
13. रक्षित पत्रावली।

27/8/2020
संयुक्त परिवहन आयुक्त (नियम)

Scanned with CamScanner